संख्या- 76 /VI-I/2007-2(13)/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2007

विषयः- प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र मानक मद के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2146/सं0नि0उ0/दो-3/2006-07 दिनांक 20 फरवरी, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 के लेखाशीर्षक-2205-00-104-03- 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मानक मद के आयोजनागत पक्ष में प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के आधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है वहाँ ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

3-धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय मे मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये साथ ही स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को भी नियमित रूप से भेजे जाये।

4- किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका,बजट मैनुअल,भण्डार कय नियम तथा मितव्ययता संबंध समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणें का कय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर(कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-03-2007 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6-इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या-11 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-00-104-अभिलेखागार-03-बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान(पुरातत्व संरक्षण) राज्य अभिलेख-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

7–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0स0– 836 (1)/XXVII(3)/2007 दिनांक 13 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

8–यह सुनिश्चित किया जाय कि क्रय निविदा के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया जाय, जिसमें आपूर्ति न्यूनतम मूल्य में प्राप्त हो सके। गुणवत्ता का भी पूर्ण ध्यान रखा जाये।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 376 /VI-I/2007–2(13) 2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

28030700 6

20030700 1